

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 17.08.2017

आदेश


डा. महावीर प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ को निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर में अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) के अधीन एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है। एक वर्ष पश्चात उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन बीकानेर
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ
- 7- डा. महावीर प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ को प्रेषित कर लेख है कि वे अपना समस्त चार्ज किसी वरिष्ठतम अधिकारी को सम्भलाकर अपनी उपस्थिति निदेशालय में प्रस्तुत करें।
- 8- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 9- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव